

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(शिवचरण मीणा, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

20 / 2022
13.09.2022

शंकर पुत्र काशीराम जाति जाट निवासी ग्राम बीजवाड़ तहसील देवली जिला टोंक

—अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार नासिरदा जिला—टोंक राजस्थान

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नासिरदा
मिसल नम्बर 247 / 2022 दिनांक 20.07.2022 अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति : (1) श्री रईस अहमद, अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 15.11.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नासिरदा ने अपने आदेश दिनांक 20.07.2022 के द्वारा अपीलान्त को भूमि खसरा नम्बर 836, 837 रकबा 0.25 हैक्टर व 1.18 हैक्टर कुल रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम बीजवाड़ पर फसल बोनो एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर वार्षिक लगान का 50 गुना पैनल्टी व 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्त ने नायब तहसीलदार नासिरदा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्त एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस पर विधि अनुसार अपीलांत की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को बिना सुने हुये साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान नहीं कर उक्त निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है और ना ही स्वयं मौका देखा गया है। अपीलांत का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। पटवारी द्वारा दुर्भावना पूर्वक अपीलांत के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की गई है जिसके आधार पर ही उक्त निर्णय पारित किया गया है जबकि मौके पर भूमि खाली पड़ी हुई हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय पारित किया है, जबकि अपने निर्णय में इस तथ्य का कोई हवाला नहीं दिया गया है कि अपीलांत को पूर्व में कब, कौनसी तारीख अथवा पत्रावली से उसे उक्त भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किया गया। बिना किसी ठोस सबूत पेश के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया है। अपीलांत का उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा

1018



बतिरिक्त जिला कलेक्टर,
टोंक

काशत नहीं है। उक्त भूमि वर्तमान में खाली पड़ी हुई है। अपीलांट ने कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र/अन्डर टेंकिंग अपील मीमो के साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की स्वयं की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अपीलांट को न्यायालय की पूर्व पत्रावली संख्या 718/2021 निर्णय दिनांक 02.12.2021 से बेदखल किया गया था जिससे सिद्ध होता है कि अतिक्रमी गै0मु0 चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय चारागाह भूमि खसरा नम्बर 836, 837 रकबा 0.25 हैक्टर व 1.18 हैक्टर कुल रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम बीजवाड पर फसल काशत कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि भूमि खसरा नं. 836, 837 रकबा 0.25 हैक्टर व 1.18 हैक्टर कुल रकबा 1.43 हैक्टर वाके ग्राम बीजवाड पर कब्जा काशत नहीं रहा है। मैंने उक्त भूमि से पूर्व में ही कब्जा हटा लिया था तथा वर्तमान में मौके पर मेरा कोई कब्जा नहीं है और ना ही भविष्य में उक्त आराजी पर कब्जा करूंगा। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.07.2022 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि नायब तहसीलदार नासिरदा यह सुनिश्चित करेंगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित में उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एवं भविष्य में पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नहीं करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवचरण मीणा)
जिला न्यायाधीश, जलंधर
आति.जिला न्यायालय, जलंधर